# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्याः- 1543/2023

अस्मिता सिहं

**-अपीलार्थी**

**बनाम**

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

**-प्रत्यर्थीगण**

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.06.2023
आदेश की दिनांक : 19.06.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर सेः श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर सेः श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

**समक्षः- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थीया ने निलम्बन आदेश दिनांक 01.06.2023 को चुनौती दी है। अपीलार्थीया के अधिवक्ता का तर्क है कि पूर्व में प्रत्यर्थी संख्या-3 द्वारा आदेश दिनांक 01.05.2023 जारी किया गया। उक्त आदेश द्वारा अपीलार्थिया का पदस्थापन तहसीलदार झालरापाटन जिला झालावाड से आदेशों की प्रतीक्षा में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर कर दिया गया। आदेश दिनांक 01.05.2023 की पालना में प्रत्यर्थी संख्या-4 द्वारा आदेश दिनांक 01.05.2023 जारी कर अपीलार्थिया को निर्देश प्रदान किया कि अपीलार्थिया अपनी उपस्थिति राजस्व मण्डल, अजमेर में देवें। अपीलार्थिया ने एपीओ आदेश दिनांक 01.05.2023 को चुनौती देते हुए माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण चल पीठ जोधपुर के समक्ष अपील संख्या 214/2023 प्रस्तुत की अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील में माननीय अधिकरण द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 16.05.2023 जारी कर अपीलार्थिया के संबंध में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 01.05.2023 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 01.05.2023 पर रोक

लगा दी गई। अपीलार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश जारी होने के पश्चात आलोच्य आदेश जारी किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थीया के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-ए) विभाग द्वारा पत्र दिनांक 01.06.2023 राजस्व मण्डल को भेजा गया है, जिसमें अपीलार्थीया को निलम्बित किये जाने की सिफारिश की गयी है। उक्त पत्र में लिखा गया है कि अपीलार्थीया को राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 01.06.2023 के द्वारा एपीओ कर मुख्यालय राजस्व मण्डल में नियत किया गया था, परन्तु उन्होनें अपनी उपस्थिति नहीं दी। इस कारण से सरकारी आदेश की अवहेलना की गयी है। उक्त तथ्य गलत अंकित किये गये हैं, क्योंकि अपीलार्थीया के पक्ष में स्थगन आदेश पारित हो चुका था।

2. अपीलार्थीया के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि उक्त पत्र दिनांक 01.06.2023 में यह हवाला दिया गया है कि अपीलार्थीया के पक्ष में बार-बार विभिन्न स्तरों पर शिकायतें प्राप्त हो रही है। साथ ही अपीलार्थीया के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी का यह तर्क रहा है कि निलम्बन आदेश जारी करने से पूर्व सक्षम अधिकारी ने उक्त तथ्यों पर अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया है, केवल मात्र पत्र दिनांक 01.06.2023 की सिफारिश के आधार पर अपीलार्थीया को निलम्बित किया गया है जो उचित नहीं है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 1.6.2023 पूर्णतः प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं व्यापक जनहित को देखते हुये नियमानुसार राज्यहित में जारी किया गया है, उक्त आदेश में किसी भी प्रकार से कोई अवैधता एवं नियमों का उल्लघंन नहीं है तथा ना ही उक्त आदेश दुर्भावनापूर्ण आशय से जारी किया गया है। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थी को सीसीए नियम 13 (1) में प्रदत्त शक्तियों के तहत राजस्व मण्डल द्वारा निलम्बित किया गया है, निलम्बन की कार्यवाही दाण्डिक कार्यवाही की श्रेणी में नहीं आती है, अपीलार्थी अगर इस कार्यवाही से व्यथित है तो वह विभाग के उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 01.06.2023 द्वारा अवगत कराया गया की मण्डल के आदेश दिनांक 01.05.2023 के द्वारा अपीलार्थी तहसीलदार को एपीओ कर मुख्यालय राजस्व मण्डल, अजमेर नियत किया गया। किन्तु अपीलार्थीया द्वारा किसी भी कार्यालय में

उपस्थिति नहीं दी गई तथा अपीलार्थी के विरूद्ध बार-बार शिकायतें प्राप्त होने एवं इनके विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर द्वारा भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 की धारा 13(1)(ई) सपठित धारा 13(2) एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 की धारा 13(1) (बी) सपठित धारा 13(2), धारा 109, 120बी भा०द०स० के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। जिसके दृष्टिगत राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के तहत माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार मण्डल के आदेश दिनांक 01.06.2023 द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित कर मुख्यालय राजस्व मण्डल अजमेर निर्धारित किया गया। अपीलार्थीया के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 की धारा 13(1) (ई) सपठित धारा 13(2) एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 की धारा 13(1) (बी) सपठित धारा 13 (2) धारा 109, 120बी भा०द०स० के अन्तर्गत अपराध संख्या 97/2023 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने तथा उसके द्वारा मण्डल के आदेश दिनांक 01.05.2023 की पालना में मुख्यालय स्तर पर उपस्थिति नहीं दिये जाने के कारण माननीय अध्यक्ष राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा स्वविवेक का प्रयोग कर प्रदत्त निर्देशानुसार (It's a case of very serious administrative misdemeanor. He may be suspended with immediate effect.) की पालना सीसीए नियम 13 के प्रावधान के अन्तर्गत मण्डल के आदेश दिनांक 01.06.2023 द्वारा अपीलार्थीया को निलम्बित किया गया। जो की सक्षम स्तर अनुमोदन उपरान्त जारी किया गया, जिसमें किसी प्रकार की दुर्भावना नही है ।

**4.** हमने अपीलार्थीया द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया। आलोच्य आदेश दिनांक 01.06.2023 में अपीलार्थीया के विरूद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित होने का कारण अंकित किया गया है एवं राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर निलम्बित किया गया है। उक्त नियम 13 में नियुक्ति प्राधिकारी या कोई अधिकारी जिसके अधीन वह नियुक्ति अधिकारी है या सरकार द्वारा किसी सरकारी कर्मचारी को निलम्बित कर सकता है। जहां उसके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही करने का विचार हो या ऐसी कोई कार्यवाही लम्बित हो। चूंकि आलोच्य आदेश में अपीलार्थीया के विरूद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित होना अंकित है। ऐसे में नियम 13 की

पालना करते हुए आदेश पारित किया जाना नियम विरूद्ध नहीं है। निलम्बन आदेश में नियम 13 की अवहेलना होना नहीं माना जा सकता।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते है। अतः अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य(न्यायिक)